



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1943 (श०)

(सं० पटना 69) पटना, शुक्रवार, 11 फरवरी 2022

सं० 6/नि० साख (3) पैक्स कम्प्यू-01/16/76

सहकारिता विभाग

संकल्प

7 जनवरी 2022

विषय : नाबार्ड तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के सहभागिता के आधार पर "बिहार राज्य पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना 2021" लागू करने एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपया मात्र) की राशि की व्यय की स्वीकृति।

राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी साख संरचनान्तर्गत पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) वर्तमान समय में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में अधिप्राप्ति, कृषि संयंत्र योजना, जनवितरण प्रणाली, उपभोक्ता व्यवसाय इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। पैक्स द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं एकरूपता लाने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, सामान्य लेखा प्रणाली (CAS), प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) तथा उनके मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना 2021" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजनान्तर्गत राज्य के 294 पैक्सों में नाबार्ड तथा राज्य सरकार के 50:50 के अनुपात में वित्तीय सहभागिता के आधार पर प्रति पैक्स अधिकतम रु० 3.40 लाख (तीन लाख चालिस हजार) की दर से वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए कुल रु० 10,00,00,000/- (दस करोड़) का व्यय नाबार्ड द्वारा प्राप्त राशि के समतुल्य मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य योजना से की जायेगी।

2. बिहार राज्य पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना 2021 अन्तर्गत पैक्सों का चयन एवं योजना का क्रियान्वयन :

(i) योजनान्तर्गत पैक्सों का चयन चरणबद्ध रूप से किया जायेगा। प्रथम चरण में उन्हीं पैक्सों का चयन किया जायेगा जो क्रियाशील है एवं नाबार्ड के योजना प्रारूप (परिशिष्ट 'क') में निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते हो।

(ii) योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड तथा राज्य सरकार के 50:50 के अनुपात में वित्तीय सहभागिता के आधार पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर ERP मॉडल पर विकसित किया जायेगा।

(iii) पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण इस प्रकार किया जायेगा कि पैक्सों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा बिहार राज्य सहकारी बैंक के Core Banking Solution सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकें।

(iv) योजना के तहत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं अन्य मद मिलाकर प्रति पैक्स अधिकतम रु० 3.40 लाख व्यय किया जायेगा।

3. बिहार राज्य पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना 2021 का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :

तकनीकी प्लेटफार्म अपनाने हेतु सभी बैंकों को मार्गदर्शन करने एवं योजना के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान, योजना की बैंकवार प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण नाबार्ड के योजना प्रारूप (यथा-संलग्न परिशिष्ट-‘क’) में प्रावधानित अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा किया जायेगा।

4. बिहार राज्य पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना 2021 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राशि का वहन:

बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति नाबार्ड एवं सरकार द्वारा 50:50 में किया जायेगा। नाबार्ड द्वारा अपने हिस्से की प्रतिपूर्ति के उपरांत राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य योजनान्तर्गत उपलब्ध उद्व्यय एवं उपबंध के विरुद्ध की जायेगी।

5. पूर्व में लागू पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना का निरस्तीकरण :

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-364 दिनांक 24.01.2020 द्वारा राज्य योजना से पूर्व में स्वीकृत “पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना” को निरस्त करते हुए इस योजनान्तर्गत निकासी की गयी राशि रु० 4.58 करोड़ (चार करोड़ अठ्ठावन लाख) को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा।

आदेश दिया जाता कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ऋचा कमल,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 69-571+20-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>